निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

10 माघ 1947 (श0)
(सं0 पटना 91) पटना, शुक्रवार, 30 जनवरी 2026

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना
30 जनवरी 2026

एस0 ओ0 74, दिनांक 30 जनवरी 2026—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम –12, 2017) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः –

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम बिहार माल और सेवा कर (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2025 है।
   (2) यह नियमावली दिनांक 1 नवंबर 2025 से प्रवृत समझाी जाएगी।
2. बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियमावली कहा गया है) में नियम 9 के पश्चात निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–
   ''9क. इलेक्ट्रॉनिक रीति से रजिस्ट्रीकरण की स्वीकृति. – नियम 9 में अंतर्विष्ट के सिवाए, जिस भी व्यक्ति ने नियम 8 या नियम 12 या नियम 17 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया है, उसे डेटा विश्लेषण और जोखिम मापदंड के आधार पर सामान्य पोर्टल पर पहचान होने पर, आवेदन जमा करने की तारीख से तीन कार्य–दिवस के अंदर सामान्य पोर्टल द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रीति से रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया जाएगा।''
3. उक्त नियमावली में, नियम 10 के उपनियम (1) में, शब्दों और अंक ''नियम 9 के अन्तर्गत,'' शब्दों के पश्चात, शब्दों, अंको और अक्षरों ''नियम 9क और नियम 14क,'' को अंतःस्थापित किया जाएगा।
4. उक्त नियमावली में, नियम 14 के पश्चात निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–
   ''14क. उन करदाताओं के लिए विकल्प जिनका निर्गम कर दायित्व तय सीमा से कम है.–
   (1) कोई व्यक्ति जिसने नियम 8 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया है और जो यह निर्धारित करता है कि उसके द्वारा रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को प्रदायित माल या सेवाओं या दोनों पर उसका राज्य कर और केन्द्रीय कर या संघ राज्यक्षेत्र कर और एकीकृत कर और उपकर का कुल निर्गम कर दायित्व दो लाख पचास हजार रूपए प्रति माह से अधिक नहीं है, उसे इस नियम के प्रावधानों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक रूप से रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने का विकल्प होगा।

(2) धारा 25 की उपधारा (6घ) के अधीन अधिसूचित व्यक्ति के अलावा कोई भी व्यक्ति, जिसने आधार संख्या के प्रमाणीकरण का विकल्प नहीं चुना है, इस नियम के अनुसार रजिस्ट्रीकरण प्रदान किए जाने के लिए पात्र नहीं होगा।

(3) नियम 11 में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में इस नियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उसी स्थायी लेखा संखायंक से उसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में इस नियम के अधीन दूसरा रजिस्ट्रकरण प्राप्त करने के लिए योग्य नहीं होगा।

(4) आधार संख्या के सफल प्रमाणीकरण के पश्चात, उप–नियम (1) में निर्दिष्ट आवेदक को आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से तीन कार्य दिवसों के भीतर सामान्य पोर्टल द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया जाएगा।

(5) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो उप–नियम (1) के अधीन लिए गए विकल्प से प्रत्याह्रण चाहता है, उसे प्ररूप जीएसटी आरईजी–32 में, सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के माध्यम से सत्यापित या विधिवत हस्ताक्षरित आवेदन सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्र के माध्यम से आवेदन फाइल करना होगाः

परन्तु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को ऐसा आवेदन फाइल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि उसने प्रस्तुत न किया हो,–

(क) कम से कम तीन माह की अवधि के लिए रिटर्न, जहां ऐसा आवेदन 1 अप्रैल, 2026 से पहले फाइल किया गया हो;

(ख) कम से कम एक कर अवधि के लिए रिटर्न, जहां ऐसा आवेदन 1 अप्रैल, 2026 को या उसके बाद फाइल किया गया हो; और

(ग) रजिस्ट्रीकरण की प्रभावी तारीख से लेकर प्रत्याह्रण के लिए आवेदन की तारीख तक के समय के सभी बकाया रिटर्नः

परन्तु यह और भी कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को ऐसा आवेदन फाइल करने की अनुमति दी जाएगी जहां ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के खिलाफ धारा 29 के तहत कोई कार्यवाही आरम्भ नहीं की गई है।

(6) जहां इस नियम के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा प्ररूप जीएसटी आरईजी–01 में दिए गए विवरण में कोई परिवर्तन होता है, तो उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उप–नियम (5) के अधीन प्रत्याह्रण के लिए आवेदन फाइल करने से पहले नियम 19 के अधीन विवरण को संशोधित करवाएगा।

(7) सामान्य पोर्टल पर डेटा विश्लेषण और जोखिम मापदंडों के आधार पर, आधार संख्या या बायोमेट्रिक–आधारित आधार के प्रमाणीकरण से संबंधित नियम 8 के उप–नियम (4क) के प्रावधान, आवेदक की तस्वीर लेने के साथ–साथ प्ररूप जीएसटी आरईजी–01 में रजिस्ट्रीकरण आवेदन के साथ अपलोड किए गए दस्तावेजों की मूल प्रति का सत्यापन, जहां तक हो सके, उप–नियम (5) के अधीन प्रत्याह्रण के लिए फाइल किये गए आवेदन पर लागू होंगे।

(8) नियम 8 के उपनियम (5) और उपनियम (6) के अभिस्वीकृति से सम्बन्धित प्रावधान, यथावश्यक परिवर्तनों सहित, उपनियम (5) के अंतर्गत फाइल किये गए आवेदन पर लागू होंगे।

(9) उपनियम (5) के अधीन प्रत्याह्रण के लिए फाइल किये गए आवेदन का सत्यापन नियम 9 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

(10) उप–नियम (9) के अंतर्गत सत्यापन के पश्चात, उचित अधिकारी उप–नियम (1) के अंतर्गत उपलब्ध विकल्प से प्रत्याह्रण के लिए आवेदन को अनुमति देते हुए प्ररूप जीएसटी आरईजी–33 में आदेश या नियम 9 के अंतर्गत निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्ररूप जीएसटी आरईजी–05 में आवेदन को अस्वीकार करने का आदेश, यथास्थिति, जारी करेगा, जोकि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को सामान्य पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा।

(11) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसे उप–नियम (10) के अधीन प्रत्याह्रण की अनुमति देने वाला आदेश प्राप्त हुआ है, वह उसके द्वारा रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को प्रदायित माल या सेवाओं या दोनों पर निर्गम कर दायित्व, जोकि उप–नियम (1) में निर्दिष्ट निर्गम कर दायित्व से अधिक है, का विवरण प्रस्तुत करने में, उस महीने के पहले दिन जिसमें उक्त आदेश जारी किया गया है, से सक्षम होगा।

(12) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसे उप–नियम (10) के अधीन आदेश जारी किया गया है, निर्गम कर दायित्व के संबंध में दिए गए ब्यौरे में संशोधन नहीं करेगा जिससे कि जिस माह में उक्त आदेश जारी किया गया है उससे अगले माह के प्रथम दिन से पूर्व की अवधि के लिए निर्गम कर दायित्व उप–नियम (1) में निर्दिष्ट निर्गम कर दायित्व की सीमा से अधिक हो जाए।

(13) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रत्याह्रण के आवेदन को फाइल करने के बाद उचित अधिकारी द्वारा रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की कार्यवाही शुरू की गई है और उक्त कार्यवाही लंबित है, उप–नियम (5) के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा फाइल किए गए प्रत्याह्रण आवेदन को उचित अधिकारी द्वारा खारिज कर दिया जाएगा और मान्य आधार पर आवेदन के अनुमोदन से संबंधित नियम 9 के उप–नियम (5) के प्रावधान, ऐसे मामले में लागू नहीं होंगे।''

5. उक्त नियमावली में, प्ररूप जीएसटी आरईजी–01 में,–

(क) ''प्ररूप जीएसटी आरईजी–01'' शब्द, अक्षरों और अंकों के पश्चात् और ''रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन'' शब्दों से पूर्व, ''{नियम 8(1) देखें}'' कोष्ठक, शब्दों और अंकों के स्थान पर ''{नियम 8(1) और 14क देखें}'' कोष्ठक, शब्द, अक्षर और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) भाग–ख में, सारणी में, क्रम संख्या 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

''4.1	नियम 14क के अधीन रजिस्ट्रीकरण का विकल्प	हाँ ☐ नहीं ☐
4.1.1	नियम 14क के अधीन रजिस्ट्रीकरण का विकल्प चुनने वाले व्यक्ति द्वारा घोषणा ☐ मैं घोषणा करता/करती हूँ कि पूर्वोक्त कारबार नियम 14क के अधीन रजिस्ट्रीकरण के विकल्प के लिए अधिनियम या नियमों में निर्दिष्ट शर्तों और प्रतिबंधों का पालन करेगा।'', और	

(ग) ''रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के लिए अनुदेश'' शीर्षक के अंतर्गत, क्रम संख्या 8 के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

''8क. नियम 14क के अधीन रजिस्ट्रीकरण का विकल्प चुनने वाले किसी भी व्यक्ति को आधार संख्या का ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण से करना होगा।''

6. उक्त नियमावली में, प्ररूप जीएसटी आरईजी–02 में, ''प्ररूप जीएसटी आरईजी–02'' शब्द, अक्षरों और अंको के पश्चात्, ''{नियम 8(5) देखें}'' कोष्ठक, शब्दों और अंकों के स्थान पर ''{नियम 8(5) और 14क देखें}'' कोष्ठक, शब्द, अक्षर और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

7. उक्त नियमावली में, प्ररूप जीएसटी आरईजी–03 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

''प्ररूप जीएसटी आरईजी–03
{नियम 9(2), 19(2) और 14क देखें}

निदेश संख्या **तारीख**

सेवा में,

आवेदक का नाम,
पता,
जीएसटीआइएन/जीएसटीपी आइडी (यदि उपलब्ध हो),
आवेदन निदेश संख्या

अतिरिक्त जानकारी/स्पष्टीकरण/दस्तावेजों के लिए नोटिस
रजिस्ट्रीकरण/संशोधन/रद्दीकरण/प्रत्याह्रण के लिए आवेदन से संबंधित

यह आपके एआरएन तारीख द्वारा फाइल किए गए रजिस्ट्रीकरण/संशोधन/रद्दीकरण/प्रत्याह्रण के लिए आवेदन के निदेश अनुसार है। विभाग ने आपके आवेदन की परीक्षा की है और निम्नलिखित कारणों से वह संतुष्ट नहीं है:

1.

2.
3.

☐ आप तारीख ....तक अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिए निदेशित किए जाते हैं।

☐ *आप तारीख .... को .... समय पर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होने के लिए निदेशित किए जाते हैं।

यदि निर्धारित तारीख तक कोई जवाब नहीं आता है या आपके विरूद्ध धारा 29 के अधीन कार्यवाही आरंभ की जाती है, तो आपका आवेदन अस्वीकृत किया जा सकता है।
कृपया ध्यान दें कि इस मामलें में कोई और नोटिस/स्मरण पत्र जारी नहीं किया जाएगा।

हस्ताक्षर
उचित अधिकारी का नाम
पद नाम
अधिकारिता

*नए रजिस्ट्रीकरण आवेदन और प्रत्याहृण के लिए लागू नहीं।''

8. उक्त नियमावली में, प्ररूप जीएसटी आरईजी–04 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

''प्ररूप जीएसटी आरईजी–04
{नियम 9(2), 19(3) और 14क देखें}
रजिस्ट्रीकरण/संशोधन/रद्दीकरण/प्रत्याहृण के लिए स्पष्टीकरण/अतिरिक्त जानकारी/दस्तावेज

1.	नोटिस के ब्यौरे	निदेश संख्या		तारीख	
2.	आवेदन के ब्यौरे	निदेश संख्या		तारीख	
3.	जीएसटीआईएन/जीएसटीपी आइडी यदि लागू हो				
4.	कारबार का नाम (विधिक)				
5.	व्यापार नाम, यदि कोई हो				
6.	पता				
7.	क्या रजिस्ट्रीकरण या फील्ड के लिए आवेदन में कोई उपांतरण अपेक्षित है				हाँ ☐ नहीं ☐ (एक पर निशान लगाएँ)
8.	अतिरिक्त जानकारी				
9.	अपलोड किए गए दस्तावेजों की सूची				
10.	सत्यापन				
	मैं ....सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ और घोषित करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्त ज्ञान और विश्वास से सत्य और सही है और उसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है। **प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर** **नाम** **पद नाम/प्रास्थिति** **स्थान:** **तारीख:**				

टिप्पण:–

1. नए रजिस्ट्रीकरण के लिए मूल रजिस्ट्रीकरण आवेदन संपादन ढंग में उपलब्ध रहेगा यदि मद 7 में विकल्प हाँ चुने।
2. रजिस्ट्रीकरण विशिष्टियों के संशोधन के लिए आशायित फील्ड संपादन ढंग में उपलब्ध रहेगी यदि मद 7 में विकल्प हाँ चुने।
3. नियम 14ए के अधीन लिए गए विकल्प से प्रत्याह्रण के लिए मद निष्क्रिय 7 होगा।''

9. उक्त नियमावली में, प्ररूप जीएसटी आरईजी–05 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

''प्ररूप जीएसटी आरईजी–05
{नियम 9(4), 19(4), 23(2)ख और 14क देखें}

निदेश संख्या

सेवा में,

आवेदक का नाम,
पता,
जीएसटीआईएन/जीएसटीपी आइडी (यदि उपलब्ध हो),

रजिस्ट्रीकरण/संशोधन/रद्दीकरण/प्रत्याह्रण के लिए आवेदन की अस्वीकृति का आदेश

यह आपके एआरएन तारीख द्वारा फाइल किए गए जवाब के निदेश अनुसार है। विभाग ने आपके जवाब की परीक्षा की है और निम्नलिखित कारणों से वह संतुष्ट नहीं है:

1.
2.
3.

.... इसलिए आपका आवेदन अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अस्वीकृत किया जाता है। या आपके निदेश संख्या तारीख द्वारा जारी नोटिस का जवाब उसमे विनिर्दिष्ट समय के भीतर नहीं दिया गया है। इसलिए आपका आवेदन अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अस्वीकृत किया जाता है।

हस्ताक्षर
नाम
पद नाम
अधिकारिता''

10. उक्त नियमावली में, प्ररूप जीएसटी आरईजी–31 के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: –

''प्ररूप जीएसटी आरईजी–32
{नियम 14क (5) देखें}
प्रत्याह्रण के लिए आवेदन

1. जीएसटीआईएन	
2. विधिक नाम	
3. व्यापार का नाम, यदि कोई है	
4. कारबार के मूल स्थान का पता	
5. नियम 14क के अधीन रजिस्ट्रीकरण का विकल्प	
(i) हाँ	☐
(ii) नहीं	☐

6. आधार सत्यापन	
(i) प्राथमिक प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (स्वतः)	
(ii) प्रमोटर/भागीदार (स्वतः)	
7. प्रत्याह्रण का कारण	(i) रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को किए गए प्रदाय से संबंधित निर्गम कर दायित्व दो लाख पचास हजार रूपए प्रति माह से अधिक है। (i) अन्य – कृपया निर्दिष्ट करें।

8. सत्यापन

मैं .... सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ और घोषित करता हूँ कि मैं नियम 14क के उप–नियम (1) के अधीन लिए गए विकल्प से प्रत्याह्रण करना चाहता/चाहती हूँ और मैं समझता/समझती हूँ कि नियम 8 के उप–नियम (4क), उप–नियम (5) और उप–नियम(6) तथा नियम 9 में दिए गए आवेदन के सत्यापन और व्यवसायिक स्थलों के भौतिक सत्यापन से संबंधित प्रावधान और संबंधित प्रक्रियाएँ तथा समय अवधि मेरे प्रत्याह्रण के लिए आवेदन पर लागू होंगे।

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर
नाम
पद नाम/प्रास्थिति

स्थान
तारीख

प्रत्याह्रण के लिए आवेदन को प्रस्तुत करने के लिए अनुदेश

1. 'नियम 14क के अधीन रजिस्ट्रीकरण के विकल्प' फील्ड में, सामान्य पोर्टल पर हाँ का विकल्प निष्क्रिय कर दिया जाएगा।
2. स्थायी लेखा संख्यांक को आयकर डेटाबेस के साथ सत्यापित किया जाएगा।
3. प्राथमिक प्राधिकृत हस्ताक्षरी और एक चयनित प्रमोटर या भागीदार का आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य है।''
4. नियम 14क के अधीन लिए गए विकल्प से प्रत्याह्रण के लिए आवेदन करने से पहले, आवेदन की तारीख तक सभी लंबित रिटर्न प्रस्तुत करने होंगे। प्रत्याह्रण के लिए आवेदन करने से पहले कम से कम तीन माह की अवधि के लिए, जहां ऐसा आवेदन 1 अप्रैल, 2026 से पहले फाइल किया गया हो, और कम से कम एक कर अवधि के लिए, जहां ऐसा आवेदन 1 अप्रैल, 2026 को या उसके बाद फाइल किया गया हो, रिटर्न प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
5. कृपया सुनिश्चित करें कि प्ररूप जीएसटी आरईजी–32 फाइल करने के समय कोई संशोधन आवेदन लंबित न हो।
6. एक बार प्ररूप जीएसटी आरईजी–32 फाइल करने के बाद, किसी भी संशोधन आवेदन को अनुमति, प्ररूप जीएसटी आरईजी–32 के अधीन आवेदन के निपटारे तक, नहीं दी जाएगी
7. एआरएन केवल तभी जनरेट किया जाएगा जब आधार नंबर का ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण सफलतापूर्वक पूरा हो या बायोमेट्रिक आधारित आधार प्रमाणीकरण की प्रक्रिया पूरी हो, साथ ही प्ररूप जीएसटी आरईजी–01 में आवेदन के साथ अपलोड किए गए दस्तावेजों की मूल प्रति का सत्यापन भी हो गया हो।''
8. कृपया ध्यान दें कि एक बार प्ररूप जीएसटी आरईजी–32 फाइल करने के बाद आवेदन के निपटारे तक रद्दीकरण आवेदन फाइल करने की अनुमति नहीं होगी।
9. यदि धारा 29 के अधीन कार्यवाही का आरंभ किया गया है, तो प्ररूप जीएसटी आरईजी–32 में प्रत्याह्रण का आवेदन फाइल करने की अनुमति नहीं होगी।''

11. उक्त नियमावली में, प्ररूप जीएसटी आरईजी–32 के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: –

"प्ररूप जीएसटी आरईजी–33
{नियम 14क (10) देखें}

निदेश संख्या तारीख

सेवा में,

नाम,
पता,
रजिस्ट्रीकरण संख्या (जीएसटीआइएन),

एआरएन तारीख

नियम 14क के उपनियम (1) के अधीन लिए गए विकल्प से प्रत्याहृण का आदेश

इसका संदर्भ आपके आवेदन संख्या .... तारीख .... से है, जो नियम 14क के उप–नियम (1) के अधीन लिए गए विकल्प से प्रत्याहृण के संबंध में नियम 14क के उपनियम (6) के अधीन प्रस्तुत किया गया था। आपके आवेदन की परीक्षा की गई है गया और इसे नियम 14क के उप–नियम (11) के प्रावधानों के अधीन स्वीकार कर लिया गया है। संशोधित रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र आपके डैशबोर्ड पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है।

हस्ताक्षर
नाम
पद नाम
अधिकारिता

तारीखः
स्थान :'

[(सं0सं0 बिक्री–कर/जीएसटी/विविध–21/2017 (खंड–17)380)]
बिहार राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार सिंह,
राज्य–कर आयुक्त–सह–सचिव।

30 जनवरी 2026

एस० ओ० 74, दिनांक 30 जनवरी 2026 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं0सं0 बिक्री–कर/जीएसटी/विविध–21/2017 (खंड–17) 380)]
बिहार राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार सिंह,
राज्य–कर आयुक्त–सह–सचिव।

The 30th January 2026

S.O. 74 Dated 30th January 2026—In exercise of the powers conferred by section 164 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:—

1. (1) These rules may be called the Bihar Goods and Services Tax (Fourth Amendment) Rules, 2025.

(2) These rules shall come into force with effect from 1st day of November, 2025.

2. In the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), after rule 9, the following rule shall be inserted, namely: -

"9A. ***Grant of registration electronically***.— Notwithstanding anything contained in rule 9, any person who has applied for registration under rule 8 or rule 12 or rule 17, shall, upon identification on the common portal based on data analysis and risk parameters, be granted registration electronically by the common portal, within three working days from the date of submission of application.".

3. In the said rules, in sub-rule (1) of rule 10, after the words and figure "under rule 9,", the words, letters and figures "rule 9A and rule 14A," shall be inserted.

4. In the said rules, after rule 14, the following rule shall be inserted, namely: -

"**14A. Option for taxpayers having monthly output tax liability below threshold limit. –**

(1) Any person who has made application for registration under rule 8 and who determines that his total output tax liability on supply of goods or services or both made to registered persons on account of central tax and State tax or Union territory tax and integrated tax and compensation cess, does not exceed two lakh and fifty thousand rupees per month, shall have an option to get registration electronically, in accordance with the provisions of this rule.

(2) Any person, other than a person notified under sub-section (6D) of section 25, who has not opted for authentication of Aadhaar number, shall not be eligible for grant of registration in terms of this rule.

(3) Notwithstanding anything contained in rule 11, a person registered under this rule in a State or Union territory shall not be eligible to obtain another registration in the same State or Union territory under this rule against the same Permanent Account Number.

(4) Upon successful authentication of Aadhar number, the applicant referred to in sub-rule (1) shall be granted registration electronically by the common portal, within three working days from the date of submission of application.

(5) The registered person who intends to withdraw from the option availed under sub-rule (1), shall file an application, in FORM GST REG-32, duly signed or verified through electronic

verification code on the common portal, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner:

Provided that the registered person shall not be allowed to file such application unless he has furnished, -

(a) returns for a period of minimum three months, where such application is filed before 1st April, 2026;

(b) returns for a period of minimum one tax period, where such application is filed on or after 1st April, 2026; and

(c) all the returns due for the period from the effective date of registration till the date of application for withdrawal:

Provided further that the registered person shall be allowed to file such application where no proceedings under section 29 have been initiated against such registered person.

(6) Where there is any change in particulars furnished in FORM GST REG-01 by the person who has been granted registration under this rule, the said registered person shall get the particulars amended under rule 19 before filing an application for withdrawal under sub-rule (5).

(7) Based on data analysis and risk parameters on the common portal, the provisions of sub-rule (4A) of rule 8 relating to authentication of Aadhaar number or biometric-based Aadhaar authentication, taking photograph of the applicant along with verification of original copy of documents uploaded along with registration application in FORM GST REG-01, shall, so far as may be, apply to application for withdrawal filed under sub- rule (5).

(8) The provisions of sub-rules (5) and (6) of rule 8 relating to issuance of acknowledgment, shall, *mutatis mutandis*, apply to the application filed under sub-rule (5).

(9) The application filed for withdrawal under sub-rule (5), shall be verified in accordance with the provisions of rule 9.

(10) Upon verification under sub-rule (9), the proper officer shall issue an order in FORM GST REG-33 allowing the application for withdrawal from the option availed under sub-rule (1) or order for rejection of application in FORM GST REG-05, within a period specified under rule 9, as the case may be, which shall be made available to the registered person on the common portal.

(11) The registered person who has received an order issued under sub-rule (10) allowing withdrawal shall be able to furnish the details of output tax liability on supply of goods or services or both made to registered persons, exceeding the output tax liability as referred to in sub-rule (1), from the first day of succeeding month in which the said order has been issued.

(12) A registered person to whom an order under sub-rule (10) has been issued, shall not amend the details furnished in respect of output tax liability so as to exceed the limit of the output tax liability specified in sub-rule (1) for the period prior to the first day of succeeding month in which the said order has been issued.

(13) Where proceedings for cancellation of registration have been initiated by the proper officer after the filing of withdrawal application and the said proceedings are pending, the withdrawal application under sub-rule (5) shall be rejected by the proper officer and the provisions in relation to approval of application on deemed basis under sub-rule (5) of rule 9, shall not be applicable in such case.".

5. In the said rules, in FORM GST REG-01, —

(a) after the word, letters and figures "FORM GST REG-01" and before the words "Application for Registration", for the brackets, words and figures "*[See rule 8(1)]*", the brackets, words, figures and letter "*[See rules 8(1) and 14A]*" shall be substituted;

(b) in Part-B, in the table, after serial number 4 and the entries relating thereto, the following serial numbers shall be inserted, namely: -

"4.1	Option for registration under rule 14A	YES ☐ NO ☐
4.1.1	Declaration by person opting for registration under rule 14A ☐ I hereby declare that the aforesaid business shall abide by the conditions and restrictions specified in the Act or the rules for opting to register under rule 14A."; and	

(c) under the heading 'Instructions for submission of Application for Registration', after serial number 8, the following serial number shall be inserted, namely: -

"8A. Any person opting for registration under rule 14A shall undergo OTP based authentication of Aadhaar number.".

6. In the said rules, in FORM GST REG-02, after the word, letters and figures "FORM GST REG-02", for the brackets, words and figures "*[See rule 8(5)]*", the brackets, words, figures and letter "*[See rules 8(5) and 14A]*" shall be substituted.

7. In the said rules, for the FORM GST REG-03, the following Form shall be substituted, namely:—

"FORM GST REG-03

[See rules 9(2), 19(2) and 14A]

Reference Number: **Date–**

To
Name of the Applicant:
Address:
GSTIN/GSTP ID (if available):
Application Reference No. (ARN): **Date:**

Notice for Seeking Additional Information / Clarification / Documents relating to Application for <<Registration/Amendment/Cancellation/Withdrawal>>

This is with reference to your <<registration/amendment/cancellation/withdrawal >> application filed vide ARN <> Dated –DD/MM/YYYY. The Department has examined your application and is not satisfied with it for the following reasons:

1.

2.

3. …

☐ You are directed to submit your reply by (DD/MM/YYYY)

☐ *You are hereby directed to appear before the undersigned on ……… (DD/MM/YYYY) at ……. (HH:MM)

If no response is received by the stipulated date or if proceedings under section 29 is initiated against you, your application is liable for rejection.

Please note that no further notice / reminder will be issued in this matter.

Signature Name of the Proper Officer:
Designation:
Jurisdiction:

*** Not applicable for New Registration Application and Withdrawal.".**

8. In the said rules, for the FORM GST REG-04, the following Form shall be substituted, namely:—

“FORM GST REG-04

[See rules 9(2), 19(3) and 14A]

Clarification/additional information/document for
<<Registration/Amendment/Cancellation/Withdrawal >>

1.	**Notice details**	**Reference No.**		**Date**	
2.	**Application details**	**Reference No.**		**Date**	
3.	**GSTIN/GSTP ID, if applicable**				
4.	**Name of Business (Legal)**				
5.	**Trade name, if any**				
6.	**Address**				
7.	**Whether any modification in the application for registration or fields is required.-**				Yes ☐ No ☐ (Tick one)
8.	**Additional Information**				
9.	**List of Documents uploaded**				
10.	**Verification** I ______________________hereby solemnly affirm and declare that the information given hereinabove is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom. **Signature of Authorised Signatory** **Name Designation/Status:** **Place:** **Date:**				

Note: -

1. For new registration, original registration application will be available in editable mode if option ‘Yes’ is selected in item 7.
2. For amendment of registration particulars, the fields intended to be amended will be available in editable mode if option “Yes” is selected in item 7.
3. For withdrawal from option availed under rule 14A, item 7 will be disabled.”.

9. In the said rules, for the FORM GST REG-05, the following Form shall be substituted, namely:—

"FORM GST REG-05

[See rules 9(4), 19(4), 23(2)(b) and 14A]

Reference Number: **Date–**

To

Name of the Applicant
Address -
GSTIN/ GSTP ID (if available)

Order of Rejection of Application for <Registration / Amendment / Cancellation/ Withdrawal >

This has reference to your reply filed vide ARN --- dated----. The reply has been examined and the same has not been found to be satisfactory for the following reasons:
1
2.
3.

…Therefore, your application is rejected in accordance with the provisions of the Act.
Or
You have not replied to the notice issued vide reference no. …….. dated ...... within the time
specified therein. Therefore, your application is hereby rejected in accordance with the provisions of the Act.

Signature
Name
Designation
Jurisdiction".

10. In the said rules, after the FORM GST REG-31, the following Form shall be inserted, namely:—

"FORM GST REG-32

[See rule 14A (5)]

Application for Withdrawal

1. GSTIN	
2. Legal name	
3. Trade name, if any	
4. Address of Principal Place of business	
5. Option for registration under rule 14A	
(i) Yes	☐
(ii) No	☐
6. Aadhaar Authentication	
(i) Primary Authorized Signatory (auto)	
(ii) Promoter/Partner (auto)	
7. Reason for Withdrawal	(i) Output tax liability in respect of supply made to registered person exceeds two lakh fifty thousand rupees per month. (ii) Other -Please specify

Verification

I____________hereby solemnly affirm and declare that I want to withdraw from the option availed under sub-rule (1) of rule 14A and I understand that the provisions of sub- rule (4A), sub-rule (5) and sub-rule (6) of rule 8 and provisions of rule 9 relating to verification of the application and physical verification of places of business and corresponding procedures and time period shall apply to my withdrawal application.

Signature of Authorised Signatory
Name
Designation / Status

Place
Date

Instructions for submission of application for withdrawal

1. In 'Option for registration under rule 14A' field, option YES will be disabled on common portal.
2. Permanent Account Number shall be verified with Income Tax database.
3. Aadhaar Authentication of Primary Authorised Signatory and one selected Promoter or Partner is mandatory.
4. Before applying for withdrawal from the option availed under rule 14A, all the pending returns till the date of application shall be furnished. It is mandatory to furnish returns for a period of minimum three months, where such application has been filed before 1st April, 2026, and a minimum one tax period, where such application is filed on or after 1st April, 2026.

5. Please ensure that no amendment application is pending at the time of filing of FORM GST REG-32.
6. Once FORM GST REG-32 is filed, no amendment application will be allowed to be filed till the disposal of application under FORM GST REG-32.
7. ARN will be generated only after successful OTP based authentication of Aadhaar number or completion of the process of biometric based Aadhar authentication along with the verification of original copy of the documents uploaded with the application in FORM GST REG-01.
8. Please note that filing of cancellation application will not be allowed once FORM GST REG- 32 is filed till the disposal of application.
9. In case the proceedings under section 29 have been initiated, application for withdrawal in FORM GST REG-32 will not be allowed to be filed.".

11. In the said rules, after the FORM GST REG-32, the following Form shall be inserted, namely:—

"FORM GST REG-33

[See rule 14A (10)]

Reference Number - <<>> **Date – DD/MM/YYYY**

To (Name) (Address)
Registration Number (GSTIN)

Application Reference No. (ARN) **Dated – DD/MM/YYYY**

Order of withdrawal from option availed under sub-rule (1) of rule 14A

This has reference to your application number------ dated submitted under sub- rule (6) of rule 14 A regarding withdrawal from the option availed under sub-rule (1) of rule 14A. Your application has been examined and the same has been accepted under the provisions of sub-rule (11) of rule 14A. ct. The amended certificate of registration is available on your dashboard for download.

Signature
Name
Designation
Jurisdiction

Date:
Place:".

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-17) 380)]
By the order of Governor of Bihar,
Sanjay Kumar Singh,
Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 91-571+10-डी0टी0पी0।
Website: https://egazette.bihar.gov.in